



दशक की नई अधिसूचनाएं

बैंकों को दिनांक 29 अक्टूबर 1999 को गवर्नर द्वारा घोषित "वर्ष 1999-2000 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधिसमीक्षा" पर वक्तव्य के संदर्भ में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत को लागू करने में परचालनगत समस्याओं का संदर्भ दिया गया है, जिसमें बैंकों को पीएलआर के संदर्भ में बनि बलियों की छूट पर ब्याज दर प्रभारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक पूर्व-निर्धारित चुकौती तारीखों को ध्यान में रखते हुए बलि छूट सुविधा पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर प्रदान कर सकेंगे और कॉर्पोरेटों को उनकी ऋण बिक्री/ऋण खरीद प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए बलि मार्ग के लिए जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि उन्हें प्राप्त होने की संभावना वाले लागत लाभ को ध्यान में रखा जा सके। बैंकों ने देश में बलियों की संस्कृति के विकास में अधिकतम समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

तदनुसार, अनुदेशों के मैनुअल (डीबीओडी, डीबीएस और आईईसीडी) के पैरा 13.बी.1.1 के उप अनुच्छेद

1.2(ii) को हटा दिया जाए।